

30/3/2024

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। बहस वकील प्रार्थी से सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया। वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि ग्राम सांवलोदा धायलान तहसील धोद के खसरा सं. 71 रकबा 0.81 हेक्टेयर जिसके पुराने खसरा सं. 369 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा थे। वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम छोटूराम पुत्र भूदाराम अंकित है। जबकि प्रार्थी का सही नाम छोटेलाल पुत्र भूदाराम है। प्रार्थी के आधार कार्ड, पैन कार्ड व परिवार राशन कार्ड आदि दस्तावेजों में प्रार्थी का नाम छोटेलाल पुत्र भूदाराम अंकित है। अतः राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम छोटूराम पुत्र भूदाराम के स्थान पर छोटे लाल पुत्र भूदाराम दुरुस्त किया जावे।

तहसीलदार, धोद से प्रकरण के संबंध में प्राप्त का अवलोकन किया। तहसीलदार, धोद ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है कि "छोटूराम पुत्र भूदाराम, छोटे लाल पुत्र भूदाराम जाति जांगिड़ नि. सांवलोदा धायलान दोनों एक ही व्यक्ति है तथा इसका वास्तविक नाम छोटे लाल पुत्र भूदाराम जाति जांगिड़ नि. सांवलोदा धायलान है। प्रार्थी के आधार कार्ड, राशनकार्ड में नाम छोटे लाल पुत्र भूदाराम है। अतः प्रार्थी का नाम छोटूराम पुत्र भूदाराम के स्थान पर छोटे लाल पुत्र भूदाराम जाति जांगिड़ किया जाना उचित है।" अतः मुताबिक तहसीलदार, धोद की रिपोर्ट, प्रस्तुत समस्त दस्तावेजों के अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाना उचित है।

अतः तहसीलदार, धोद की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम सांवलोदा धायलान तहसील धोद के खसरा सं. 71 रकबा 0.81 हेक्टेयर के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम छोटूराम पुत्र भूदाराम के स्थान पर छोटे लाल पुत्र भूदाराम दुरुस्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। पूर्व की प्रविष्टि से किसी तरह की सरकारी, गैर सरकारी बकाया एवं उत्तरदायित्व हो तो उसके निर्वहन एवं अदायगी के लिए प्रार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। तहसीलदार, धोद की रिपोर्ट निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। पालनार्थ तहसीलदार, धोद को लिखा जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बांद तकमील दाखिल दफ़तर हों।



उपखण्ड अधिकारी
धोद मु. सीकर
धोद मु. सीकर

